

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 116B/2016-17

रतनी देवी बनाम बसंती महतो

:: आदेश ::

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति


7-2-18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 171 दिनांक 01.02.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 116 B/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता रतनी देवी पति मोहन महतो ग्राम-पान्झा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावों ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता बसन्ती महतो पति धर्मेन्द्र महतो, ग्राम-रेगोंगोड़ा, थाना-खरसावों, जिला-सरायकेला-खरसावों को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
सरायकेला वार्ड नं0-8	301	145	14/A	07.5 डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वयं के नाम से जमाबंदी दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती हैं। आवेदिका द्वारा 07.5 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 4.45¼ एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 07.5 डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।


07/02/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।